



मोबाइल नं० 7525006056, 7525006063

ईमेल वेबसाइट www.upcbl.in

उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि०,

2-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ-226001

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ हेतु एक तथा उ०प्र० राज्य में संचालित 50 जिला सहकारी बैंकों में से 23 जिला सहकारी बैंकों में प्रत्येक बैंक हेतु एक-एक "कोआपरेटिव इंटरन" के पद पर एक वर्ष के लिए भारत के नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिसका विवरण निम्नांकित है :-

क्र०सं०	विवरण	नियम एवं शर्तें
1	पद का नाम	"कोआपरेटिव इंटरन"
2	सहकारी समितियों के सुदृढीकरण हेतु कोआपरेटिव इंटरन की नियुक्ति	सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के लाभ बुनियादी स्तर तक पहुँचे यह सुनिश्चित करने, सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल को मजबूत करने तथा सहकारिताओं के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ एवं जिला सहकारी बैंकों में "कोआपरेटिव इंटरन" के नाम से युवा प्रोफेशनल व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी है। प्रत्येक इंटरन केवल एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जायेगा।
3	योजना के उद्देश्य	i. सहकारिता आंदोलन को जमीनी स्तर तक पहुंचाना। ii. प्रोफेशनल स्नातकों का क्षमता निर्माण करना ताकि वे सहकारी संस्थाओं का संदर्भ तथा व्यवहारिक कार्यप्रणाली सीख सकें। iii. सहकारिता के क्षेत्र में अनुभवी प्रोफेशनल व्यक्तियों की संख्या बढ़ाना, इस प्रकार नियुक्त इंटरन पर कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया में पैक्स को आने वाली दैनिक समस्याओं को हल करने के साथ-साथ व्यवसायिक योजनाओं, परियोजनाओं की तैयारी करने, वित्तीय मुद्दों को हल करने, विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने आदि की जिम्मेदारी होगी।
4	पात्रता	विपणन प्रबन्धन/सहकारी प्रबन्धन/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन/ग्रामीण विकास प्रबन्धन में एम०बी०ए या समकक्ष। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान किये गये पीजीडीएम (प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा) पर दो वर्षीय पाठ्यक्रम को एम०बी०ए० के समकक्ष माना जायेगा।
5	अनिवार्य अर्हता:	कम्प्यूटर में प्रवीणता अनिवार्य। दक्षता प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
6	आयु सीमा:	अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2025 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए।
7	पद की संख्या	कुल 24 पद। (उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि० में एक तथा 23 जिला सहकारी बैंकों में प्रत्येक के लिए एक-एक इंटरन की नियुक्ति की जानी है।)
8	इंटरन की तैनाती:	चयनित इंटरन को उनके द्वारा चुने गए जनपदों के आधार पर 23 जिला सहकारी बैंकों में तथा एक इंटरन को उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक में तैनात किया जाना है, जिससे स्थानीय क्षेत्र के बारे में उनकी समझ का लाभ उठाया जा सके। उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक कार्य की आवश्यकताओं के आधार पर इंटरन की तैनाती/स्थानांतरण कर सकता है। एक साल की इंटरनशिप को संसाधन व्यक्तियों की भर्ती के समान नहीं माना जाना जायेगा।

जिला सहकारी बैंकों का नाम, पद संख्या तथा उनके कार्यक्षेत्र निम्नांकित है :-

क्र०सं०	बैंक/जिला सहकारी बैंकों का नाम	पद की संख्या	कार्यक्षेत्र/जनपद का नाम
1	उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ	01	बैंक मुख्यालय, लखनऊ।
2	आगरा जिला सहकारी बैंक लि०, आगरा	01	आगरा
3	फिरोजाबाद जिला सहकारी बैंक लि०, फिरोजाबाद	01	फिरोजाबाद
4	मैनपुरी जिला सहकारी बैंक लि०, मैनपुरी	01	मैनपुरी
5	रामपुर जिला सहकारी बैंक लि०, रामपुर	01	रामपुर
6	जिला सहकारी बैंक लि०, बरेली	01	बरेली
7	बदायूं जिला सहकारी बैंक लि०, बदायूं	01	बदायूं
8	पीलीभीत जिला सहकारी बैंक लि०, पीलीभीत	01	पीलीभीत
9	दि फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लि०, फतेहगढ़	01	फतेहगढ़/कन्नौज
10	जालौन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लि०, उरई	01	जालौन
11	इटवा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लि०, इटावा	01	इटवा/औरैया
12	जिला सहकारी बैंक लि०, लखीमपुर खीरी	01	लखीमपुर खीरी
13	सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लि०, सहारनपुर	01	सहारनपुर
14	बिजनौर जिला सहकारी बैंक लि०, बिजनौर	01	बिजनौर
15	डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लि०, मिर्जापुर	01	मिर्जापुर/ सोनभद्र
16	जिला सहकारी बैंक लि०, उन्नाव	01	उन्नाव
17	जिला सहकारी बैंक लि०, कानपुर	01	कानपुर नगर/कानपुर देहात
18	जिला सहकारी बैंक लि०, लखनऊ	01	लखनऊ
19	बहराइच जिला सहकारी बैंक लि०, बहराइच	01	बहराइच/श्रावस्ती
20	डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लि०, गाजीपुर	01	गाजीपुर
21	जिला सहकारी बैंक लि०, जौनपुर	01	जौनपुर
22	जिला सहकारी बैंक लि०, सिद्धार्थनगर	01	सिद्धार्थनगर
23	जिला सहकारी बैंक लि०, बाराबंकी	01	बाराबंकी
24	इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लि०, इलाहाबाद	01	प्रयागराज/कौशाम्बी

नोट—उपर्युक्त तालिका के क्रमांक 01 से 24 तक उ०प्र० स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत रहे एवं वर्तमान में अन्य जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत कोऑपरेटिव इंटर्न आवेदन हेतु पात्र नहीं हैं।

9	वेतन:	चयनित इंटर्न को रु० 25,000/- के समेकित मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक बैंक में निर्धारित व्यवस्थानुसार यात्रा भत्ता (टीए)/महंगाई भत्ता (डीए) देय होगा। इंटर्न वर्ष में 10 दिन आकस्मिक अवकाश का लाभ उठा सकते हैं और इसके अलावा उन्हें कोई अन्य अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा। आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य अवकाश "अवैतनिक अवकाश" के रूप में प्रदान किया जाएगा। इंटर्न को संबंधित जिला सहकारी बैंकों/उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में लागू छुट्टियों के अनुसार छुट्टियाँ दी जा सकती हैं।
---	-------	--

10	इंटरन की भूमिकाएँ तथा कार्य:	इंटरन निम्नलिखित भूमिकाओं तथा कार्यों का निर्वहन करेंगे: - इंटरन पैक्स तथा अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों के साथ समन्वय करेंगे तथा सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। - इंटरन पर कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया में पैक्स को आने वाली दैनिक समस्याओं को हल करने के साथ-साथ व्यावसायिक योजनाओं, परियोजनाओं की तैयारी करने, वित्तीय मुद्दों को हल करने, विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने आदि की जिम्मेदारी होगी। - इंटरन जिला सहकारी बैंक/उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ समन्वय करके सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहलों के कार्यान्वयन की स्थिति पर साप्ताहिक (स्टेटस) रिपोर्ट तैयार करेगा/करेगी तथा उसे शेयर करेगा/करेगी।
11	अन्य नियम एवं शर्तें—	- यह इंटरनशिप कार्यक्रम बैंक या बैंक से संबंधित संस्थाओं के साथ रोजगार या रोजगार का आश्वासन नहीं है, तथा इस इंटरनशिप कार्यक्रम के आधार पर कोई इंटरन बैंकों में नियुक्ति का अधिकार या दावा नहीं कर सकेगा। - यह इंटरनशिप एक पूर्णकालिक कार्यक्रम है, अतः इंटरन को बैंकों के कार्यालय समय का ध्यान रखना होगा। यदि इंटरन का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है या इंटरन बैंक की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो इंटरनशिप किसी भी समय खत्म की जा सकती है और इंटरन को कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। उपर्युक्त मद्दों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इंटरन की सेवाएँ निरस्त कर सकता है। - इंटरन को इंटरनशिप की अवधि के दौरान उसे प्राप्त सभी आलेखों/रिपोर्टों और/या किसी भी सूचना की गोपनीयता बनाए रखनी होगी, जिसका उल्लंघन किये जाने पर उसके कानूनी परिणाम होंगे। इंटरन किसी व्यक्ति या संगठन के समक्ष बैंक से संबंधित ऐसी कोई जानकारी, उसकी व्यवसायिक योजना तथा नीतियाँ प्रकट नहीं करेगा, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। - इंटरन को संबंधित उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी बैंक के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। - इंटरन किसी अन्य व्यक्ति/संगठन के समक्ष बैंक, उसके कार्य तथा उसकी नीतियों से संबंधित कोई गोपनीय जानकारी प्रकट नहीं करेगा। - कोई इंटरन फेसबुक/ट्विटर हैंडल जैसे सोशल मीडिया सहित किसी भी मीडिया (प्रिंट और/या इलेक्ट्रॉनिक) के साथ न तो बातचीत करेगा और न ही उनके समक्ष बैंक का प्रतिनिधित्व करेगा। इंटरन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अपना कार्य सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे। - इंटरन बैंक के साथ तथा सामान्य जनता के साथ प्रोफेशनल रूप से व्यवहार करेंगे। - इस बात का सख्ती से ध्यान रखा जाए कि इंटरन का आचरण तथा डेटा तक उनकी पहुँच केवल संबंधित बैंक की जिम्मेदारी होगी।

उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि०,
2-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ-226001

स्व प्रमाणित पासपोर्ट
साइज का
नवीनतम फोटो

उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ में कोआपरेटिव इंटरन पद हेतु आवेदन पत्र

1. अभ्यर्थी नाम
2. पिता/पति का नाम
3. स्थायी पता
4. पत्र व्यवहार का पता
5. मोबाइल नं० एवं ई-मेल
6. जन्मतिथि
(01 जुलाई, 2025 को आयु) वर्ष माह दिन
7. शैक्षिक योग्यता :-

विवरण	विषय	बोर्ड/संस्थान	उत्तीर्ण वर्ष	प्रतिशत
हाईस्कूल				
इण्टरमीडिएट				
स्नातक				
एम०बी०ए० या समकक्ष				
अन्य योग्यता यदि कोई हो				

8. अनिवार्य अर्हता – कम्प्यूटर में प्रवीणता। दक्षता प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

घोषणा—मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं। बैंक के नियम, शर्तें एवं प्रतिबन्ध मुझे पूर्णतया स्वीकार्य हैं और मैं उन्हें पूर्णरूप से पालन करने का आश्वासन देता/देती हूँ।

स्थान :

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नाम-.....)

निर्देश:

1. आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, वांछित शैक्षिक योग्यता की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जाएं, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
2. आवेदन पत्र एवं संलग्नक PDF Format में अपलोड करें।
3. अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ एवं जिला सहकारी बैंकों के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
4. अभ्यर्थी के अर्ह अथवा अनर्ह होने पर किसी भी विवाद की दशा में उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का निर्णय अन्तिम होगा।
5. आवेदन पत्र बैंक ईमेल **niyukti@upscb.com** पर दिनांक 22.12.2025 को सायंकाल 5:30 बजे तक प्रेषित किये जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. विस्तृत विज्ञापन बैंक की वेबसाइट **www.upcbl.in** पर उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि०,
2-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ-226001

स्व प्रमाणित पासपोर्ट
साइज का
नवीनतम फोटो

जिला सहकारी बैंक लि० में कोआपरेटिव इंटरन पद हेतु आवेदन पत्र

1. अभ्यर्थी नाम
2. पिता/पति का नाम
3. स्थायी पता
4. पत्र व्यवहार का पता
5. मोबाइल नं० एवं ई-मेल
6. जन्मतिथि
(01 जुलाई, 2025 को आयु) वर्ष माह दिन

7. शैक्षिक योग्यता :-

विवरण	विषय	बोर्ड/संस्थान	उत्तीर्ण वर्ष	प्रतिशत
हाईस्कूल				
इण्टरमीडिएट				
स्नातक				
एम०बी०ए० या समकक्ष				
अन्य योग्यता यदि कोई हो				

8. जिला सहकारी बैंक का नाम लिखें :-

1.
2.

नोट :-अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र हेतु किन्हीं 02(दो) जिला सहकारी बैंकों का चयन किया जा सकता है।

9. अनिवार्य अर्हता - कम्प्यूटर में प्रवीणता। दक्षता प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

घोषणा—मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं। बैंक के नियम, शर्तें एवं प्रतिबन्ध मुझे पूर्णतया स्वीकार्य हैं और मैं उन्हें पूर्णरूप से पालन करने का आश्वासन देता/देती हूँ।

स्थान :

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नाम-.....)

क्रमशः.....02

निर्देश:

1. आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, वांछित शैक्षिक योग्यता की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जाएं, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
2. आवेदन पत्र एवं संलग्नक PDF Format में अपलोड करें।
3. जिला सहकारी बैंकों के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला सहकारी बैंकों के कार्यक्षेत्र की जानकारी होना अनिवार्य है।
4. अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ एवं जिला सहकारी बैंकों के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
5. अभ्यर्थी 02 जिला सहकारी बैंकों के लिए भी आवेदन कर सकता है।
6. अभ्यर्थी के अर्ह अथवा अनर्ह होने पर किसी भी विवाद की दशा में उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का निर्णय अन्तिम होगा।
7. आवेदन पत्र बैंक ईमेल **niyukti@upscb.com** पर दिनांक 22.12.2025 को सायंकाल 5:30 बजे तक प्रेषित किये जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. विस्तृत विज्ञापन बैंक की वेबसाइट **www.upcbl.in** पर उपलब्ध है।